कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/मा–स/22432/उत्सव/2017–18/81 दिनांक : 18/09/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषय :– राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150 वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक : प.24(19)शिक्षा–6/2018, जयपुर, दिनांक : 28.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में समस्त विद्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150 वीं जन्म शताब्दी वर्ष की अवधि (02 अक्टूबर–2018 से 02 अक्टूबर–2019) के दौरान विद्यालयों में महात्मा गांधी के जीवन–चरित्र, व्यक्तित्व, कृतित्व, सिद्धान्तों तथा राष्ट्र को उनके योगदान से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों/गतिविधियों/क्रियाकलापों को "गाँधी सार्ध शताब्दी महोत्सव" के अन्तर्गत आयोजित किया जाना है। वर्ष भर के दौरान आयोज्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के तिथिवार आयोजन हेतु निम्नांकित विवरणानुसार क्षेत्राधिकार के समस्त अधीनस्थ संस्था प्रधान को यथोचित निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	आयोज्य कार्यक्रम/गतिविधि/क्रियाकलाप का विवरण	आयोजन तिथि/अवधि
1	महात्मा गाँधी के जीवन–वृत्त से सम्बन्धित निबन्ध लेखन/क्विज प्रतियोगिता का विद्यालय स्तर पर आयोजन।	02 अक्टूबर – 2018
2	"जिलास्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेला" के आयोजन में गाँधी विषयक प्रदर्शनी तथा पोस्टर/चित्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन।	03–04 अक्टूबर – 2018
3	"राज्यस्तरीय रोल प्ले एवं लोकनृत्य प्रतियोगिता" में गाँधी विषयक नाट्य प्रस्तुति को सम्मिलित किया जाना।	08–09 अक्टूबर – 2018
4	"राष्ट्रीय शिक्षा दिवस" के अवसर पर विद्यालयों में गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित "बुनियादी तालीम" विषय पर विद्यालयों में गोष्ठी/उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन।	11 नवम्बर – 2018 को रविवारीय अवकाश के कारण आयोजन 10 नवम्बर – 2018 को शनिवारीय बाल सभा के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।
5	महात्मा गाँधी के जीवन में "साधन और साध्य की पवित्रता" विषयक विचारों और "ग्राम स्वराज्य" सम्बन्धी सिद्धान्तों पर समस्त विद्यालयों में चित्र प्रदर्शनी तथा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती के अवसर पर "कैरियर डे" आयोजन (12 जनवरी – 2019) पर
6	"सत्य और अहिंसा" सम्बन्धी गाँधीवादी सिद्धान्तों पर परिचर्चा/विचार गोष्ठी/क्विज प्रतियोगिता/भाषण/वाद–विवाद/निबन्ध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन।	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2019 से 01 फरवरी 2019 तक) "गाँधी सप्ताह" का आयोजन (अन्तिम कालांशों में) (विद्यालय एवं जिला स्तर पर)
7	12 मार्च – 1930 को "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" के अन्तर्गत गाँधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा के प्रारम्भ के स्मरण में विद्यालयों में वाद–विवाद एवं आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन।	12 मार्च – 2019
8	रिचर्ड एटनबरो की वर्ष : 1982 में प्रसारित फिल्म "गाँधी" का समस्त विद्यालयों में प्रोजेक्टर द्वारा विशेष	26 से 30 अप्रैल – 2019 (प्रतिदिन)

	शो आयोजित कर समूहवार विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को देखने/दिखाने के लिए प्रेरित करना।	
9	दिनांक : 01 अगस्त – 1920 को "असहयोग आन्दोलन" के प्रारम्भ के स्मरण में समस्त विद्यालयों में "असहयोग आन्दोलन" से सम्बन्धित भाषण/निबन्ध/पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।	01 अगस्त – 2019
10	दिनांक : 09 अगस्त – 1942 को "भारत छोड़ो आन्दोलन" के प्रारम्भ के स्मरण में समस्त विद्यालयों में महात्मा गाँधी तथा "स्वतंत्रता संग्राम एवं शहीदों" से सम्बन्धित विभिन्न भाषण/क्विज/निबन्ध/पेंटिंग/पोस्टर प्रतियोगिताओं का सतत् आयोजन (स्वाधीनता सप्ताह) स्वाधीनता दिवस के अवसर पर महात्मा गाँधी एवं स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित विशिष्ट चित्र प्रदर्शनी का आयोजन।	09 अगस्त से 14 अगस्त –2019 (विद्यालय स्तर पर) 15 अगस्त – 2019 (जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन)
11	सार्वजनिक जीवन में "सादा जीवन, उच्च विचार", स्वदेशी आन्दोलन तथा चरखा, आत्मिक शुद्धि के लिए उपवास, अहिंसात्मक विरोध "सत्याग्रह" तथा गाँधीवादी सिद्धान्तों पर "गाँधी सार्ध शताब्दी महोत्सव" के समापन सप्ताह में विभिन्न प्रकार की नाट्य प्रतियोगिता, वाद–विवाद एवं आशुभाषण प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन।	26 सितम्बर से 02 अक्टूबर – 2019 (विद्यालय एवं जिला स्तर पर)
12	समस्त विद्यालयों में दैनिक जीवन में "स्वच्छता एवं साफ–सफाई की अनिवार्यता" विषयक उदबोधन तथा सामूहिक श्रमदान द्वारा विद्यालय परिसर का सौन्दर्यकरण एवं वृक्षारोपण। (गाँधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति एवं दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के विशेष संदर्भ में)	विद्यालय में पांच दिवसीय "समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W.) शिविर" आयोजन के दौरान

समस्त सम्बन्धित उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. सहायक शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

E:\Genral letter.docx